Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

सत्यमेव जयते

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 88 Date 8.9.20

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— **समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं/अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने एवं महिला पदाधिकरियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम तथा आवास की व्यवस्था कराने के संबंध में।**

प्रसंगः— भवदीय पत्रांक—666, दिनांक—14.01.20 एवं पत्रांक—5247, दिनांक—03.06.20 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रांक—666, दिनांक—14.01.20 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कार्य की प्रकृति को देखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। किन्तु भवदीय के पत्रांक—5247 दिनांक—03.06.20 द्वारा विभागीय पत्रांक—666 दिनांक—14.01.20 को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया गया है। संशोधित पत्र के अनुसार अब दो पदाधिकारियों को एक वाहन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इस कारण कनीय पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में समस्या आ रही है। इसी प्रकार प्रथम प्रसंगाधीन पत्र द्वारा महिला पदाधिकारियों के लिए अलग से शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था संबंधित निदेश का भी अनुपालन अनेक जिला पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है, यथा जमुई जिला।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या का निराकरण सामान्यतः संबंधित जिला पदाधिकारी के विवेक के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जो यथोचित नहीं है। इतना ही नहीं, कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के चिन्हित पदों पर स्थापित नियमों एवं परंपराओं के विपरीत गैर संवर्गीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर काम लिए जाने के कारण भी बिहार प्रशासनिक सेवा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की वाहन एवं कार्यालय प्रकोष्ठ समस्या विकराल होती जा रही है, जिस कारण से पदाधिकारियों की मनोदशा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यथा शिवहर/पूर्णिया जिला।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि विशेष अभिरूचि लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की आधारभुत सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को बाध्यकारी निदेश देना चाहेंगे।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन
8/9/20
(अनिल कुमार)

विश्वासभाजन
8/9/2020
(शंशाक शेखर सिन्हा)

पत्र सं0–12/विविध–1003/10–सा0प्र0– 666

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 15.01.2020

विषय:– समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं/अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने एवं महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम तथा आवास की व्यवस्था कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभिन्न जिला पदाधिकारियों के द्वारा जिला समाहरणालयों मे पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं के कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक वरीय उप समाहर्त्ता को वाहन उपलब्ध कराने सहित अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। जिलों में पदस्थापित वरीय उपसमाहर्त्ताओं को कार्य संपादित करने के लिए अक्सर क्षेत्र भ्रमण पर जाना पड़ता है। वाहन के अभाव में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य संपादन करने में कठिनाई होती है।

2 महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित होने के कारण काफी अधिक संख्या में महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें जिलों में प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया है। समाहरणालयों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय/वाशरूम एवं समुचित आवासों की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भी कठिनाई हो रही है।

3 उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिलों मे पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यालय स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर कार्यसंपादन हेतु निम्नांकित प्रक्रियानुसार भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है:–

(i) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को किसी ऐसे कार्यालय/प्रशाखा का प्रभार मिले जिसमें पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध वाहन का ही उपयोग करेंगे।

(ii) समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय में पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो वरीय उप समाहर्त्ता/अपर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध वाहन आवंटित किया जायेगा।

(iii) जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से भाड़ा मद में आवंटन प्राप्त करेंगे।

(iv) भाड़े पर वाहन लेने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार की जाएगी।

(v) भाड़े पर ली जानेवाली वाहन मद के व्यय का वहन मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन में जिला कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय के लिए वाहन भाड़ा मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. जिलों मे पदस्थापित महिला पदाधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) 13.1.2020
अपर मुख्य सचिव

पत्र सं0–12 / विविध–1003 / 10–सा0प्र0– 5247

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 3.6.20

विषय:– समाहरणालय / अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं / अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने एवं महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय / वाशरूम तथा आवास की व्यवस्था कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र सं0 666 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा जिलों में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल कार्यालयों में पदस्थापित अपर अनुमंडल पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने तथा जिलों में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय / वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने संबंधी निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है।

2. जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ताओं को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ताओं को अलग–अलग वाहन उपलब्ध कराना है अथवा नहीं, इस संबंध में दिशा निर्देश देने हेतु उनके द्वारा अपेक्षा की गयी है।

3. विभागीय पत्र सं0 666 दिनांक 14.01.2020 की कंडिका 3 में निम्नांकित प्रक्रियानुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारियों को भाड़ा पर वाहन उपलब्ध कराने के निमित्त निर्देश दिये गये हैं:–

(i) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को किसी ऐसे कार्यालय / प्रशाखा का प्रभार मिले जिसमें पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध वाहन का ही उपयोग करेंगे।

(ii) समाहरणालय / अनुमंडल कार्यालय में पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो वरीय उप समाहर्त्ता / अपर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध वाहन आवंटित किया जायेगा।

(iii) जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से भाड़ा मद में आबंटन प्राप्त करेंगे।

(iv) भाड़े पर वाहन लेने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार की जाएगी।

(v) भाड़े पर ली जानेवाली वाहन मद के व्यय का वहन मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन में जिला कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय के लिए वाहन भाड़ा मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. अतः जिला पदाधिकारियों के अनुरोध के आलोक में जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं को भाड़ा पर वाहन उपलब्ध कराने के निमित्त स्थिति को स्पष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 666 दिनांक 14.01.2020 की कंडिका 3 (iii) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

कंडिका 3 (iii) –कंडिका 3 (i) एवं कंडिका 3 (ii) में की गयी व्यवस्था से यदि सभी वरीय उप समाहर्त्ताओं को वाहन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो जिलों में पदस्थापित प्रत्येक 2 (दो) वरीय उप समाहर्त्ताओं के लिए एक वाहन भाड़े पर उपलब्ध करायी जाएगी। भाड़े पर उपलब्ध कराये गये वाहनों के लिए जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से भाड़ा मद में आबंटन प्राप्त करेंगे।

5. विभागीय पत्र सं0–666 दिनांक 14.01.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

6. अतः अनुरोध है कि कंडिका 3 में किये गये संशोधन के अनुरूप जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–12/विविध–1003/10–सा0प्र0– 5247/पटना–15, दिनांक– 3.6.20

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
3.6.2020